राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

एफ.3 (3)(1)पो/अयो/विविध/मबावि/2003 /8023-8330 जयपुर, दिनांक 11/8/08

उप निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

विषय :— बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार—बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तू) की प्राप्ति एवं वितरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2007—08 एवं 2008—09 के लिए आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, 0 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को वितरण हेतु बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार क्रमशः एक माह बेबी मिक्स एवं अगले माह पंजीरी (सत्तू) का आवंटन किया जा रहा है। पूरक पोषाहार की प्राप्ति एवं वितरण के लिए समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. जिले में पदस्थापित उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं परियोजनाओं में प्राप्त पूरक पोषाहार सामग्री को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भेजने हेतु परिवहन की व्यवस्था करेंगे। किसी परियोजना विशेष में अनुमोदित परिवहनकर्ता द्वारा पोषाहार का परिवहन नहीं किया जा रहा है तो पोषाहार परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था उप निदेशक शीघ्र नियमानुसार करेंगे। परिवहन की समस्या के कारण पोषाहार अवधिपार नहीं होना चाहिए और न ही आंगनबाड़ी केन्द्र पोषाहार से वंचित रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति निरन्तर बनी रहे। परिवहन की व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित उप निदेशक (ICDS) का होगा।

2. बाल विकास परियोजना अधिकारी प्राप्त पोषाहार सामग्री को गोदाम में रखवायेंगे। पोषाहार की प्राप्ति रसीद देने से पूर्व पोषाहार बैग्स एवं पाउच का रेण्डम सैम्पलिंग के आधार पर वजन कराकर यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के लिए पाउच 450 ग्राम एवं महिलाओं के लिए पाउच 780 ग्राम तथा प्रत्येक बैग 24.750 किलोग्राम (450 ग्राम X 55 पाउच) अथवा 31.200 किलोग्राम (780 ग्राम X 40 पाउच) शुद्ध वजन का है।

3. निदेशालय द्वारा जारी आपूर्ति आदेशों के क्रम में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत चालान से बैग एवं पाउच पर अंकित सूचनाओं यथा पोषाहार का नाम, आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम, बैच संख्या, उत्पादन माह एवं पोषाहार की मात्रा का मिलान किया जाना सुनिश्चित करें।

प्राप्त पोषाहार सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर पोषाहार प्राप्ति के रूप में चालान पर प्राप्ति रसीद निम्नलिखित प्रारूप में दी जावे :–

आज दिनांक .... को फर्म मैसर्स ....
के चालान संख्या ....दिनांक .... के द्वारा पूरक पोषाहार बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तू) के बैग संख्या ....वजन .... मैट्रिक टन प्राप्त कर इसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या .... पर कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर मय सील)
बाल विकास परियोजना अधिकारी

यथासम्भव प्राप्ति रसीद बाल विकास परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील से जारी की जावे। प्राप्ति रसीद किसी भी परिस्थिति में परियोजना के चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी/चौकीदार के द्वारा जारी नहीं की जावे। उक्त व्यवस्था का दायित्व बाल विकास परियोजना अधिकारी का होगा।

4. यदि प्राप्त पोषाहार सामग्री बिन्दु संख्या–3 के अनुसार न हो, आपूर्ति आदेश की दिनांक से पूर्व की उत्पादित हो, क्वालिटी के सम्बन्ध में अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जावे तथा तुरन्त निदेशालय को सूचित किया जावे।

5. पोषाहार प्राप्त होते ही उसका वितरण/परिवहन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तुरन्त किया जावे।

6. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि पहले प्राप्त पोषाहार का लाभान्वितों को वितरण पहले एवं बाद में प्राप्त पोषाहार का वितरण इसके पश्चात किया जावे। किसी भी स्थिति में पोषाहार अवधिपार नहीं हो निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना गोदाम में अवधिपार पोषाहार पाये जाने पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

7. मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 450 ग्राम व 780 ग्राम के पाउचों के एक–एक बैग का आवंटन मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र को किया जा रहा है। यदि मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पूरक पोषाहार की वास्तविक आवश्यकता कम अथवा अधिक हो तो निदेशालय को माह की 15 तारीख तक सूचित करावें ताकि तदानुसार पूरक पोषाहार का आवंटन किया जा सके।

8. निदेशालय द्वारा प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र बच्चों के लिए 3 बैग एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं के लिए 2 बैग पोषाहार का आवंटन किया जा रहा है। परियोजना स्तर पर पोषाहार की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किया जाकर पोषाहार के बैग्स की संख्या को घटाने अथवा अतिरिक्त आवंटन हेतु माह की 15 तारीख तक सूचित किया जाना चाहिए ताकि आगामी माह में तदानुसार आवंटन किया जा सके।

9. किन्हीं कारणों के चलते परियोजना विशेष में आगामी माह के लिए पोषाहार की आवश्यकता न हो तो माह की 15 तारीख तक पोषाहार आवंटन न करने हेतु अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) के दूरभाष संख्या–0141–2700246 अथवा फैक्स न. 0141–2705638/पर सूचित किया जावे अन्यथा स्थिति में पूरक पोषाहार का आवंटन कर दिया जावेगा। जिसका दायित्व बाल विकास परियोजना अधिकारी का होगा।

10. पूर्व में केयर संपोषित 9 जिलों में स्थित बाल विकास परियोजनाओं को लगभग 2–3 माह की आवश्यकता का पूरक पोषाहार (सी.एस.बी./सोया तेल) का एक साथ आवंटन किया जाता था। पोषाहार की अधिक मात्रा होने एवं तेल आदि के भण्डारण हेतु राजस्थान वेयर हाउसिंग कार्पोरेश के गोदाम किराये पर लिये गये थे। अन्य जिलों में लाभान्वितों को वितरण हेतु मीठे/नमकीन मुरमुरे पोषाहार का आवंटन किया जाता था जो स्थान अधिक घेरते थे। वर्तमान में राज्य में केयर द्वारा पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है व मुरमुरों का आवंटन भी बंद कर दिया गया है। वर्तमान में पूरक पोषाहार बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तू) एक माह की आवश्यकतानुसार पाउचों में उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके भण्डारण के लिए पूर्व की तुलना में कम जगह की आवश्यकता है। उक्त कारणों से वर्तमान में राजस्थान वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन गोदामों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जिन बाल विकास परियोजनाओं के गोदाम उनके मुख्यालय से दूर राजस्थान वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अथवा किराये के भवन में अधिक दूरी पर स्थित हैं उनके स्थान पर गोदाम की व्यवस्था विभागीय भवन अथवा स्थानीय स्तर पर ही करें। नया भवन इस तरह का हो जिसमें पूरक पोषाहार का सुरक्षित भण्डारण किया जा सके। यदि कार्यालय भवन पूर्व से ही किराये के भवन में संचालित है तथा पूरक पोषाहार भण्डारण के लिए सुरक्षित एवं आवश्यक जगह नहीं है तो गोदाम हेतु नया भवन किराये पर लिया जा सकता है। इस हेतु विभागीय स्वीकृति की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव अविलम्ब निदेशालय को प्रेषित करें। व्यवस्थाओं में परिवर्तन से गोदाम किराया व परिवहन पर होने वाली व्यय राशि में बचत होगी व मोनेटरिंग भी प्रभावी होगी।

11. परियोजना स्तर पर पूरक पोषाहार बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तू) के लिए एक ही स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जावे पोषाहार प्राप्ति के बाद उसका परिवहन/वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों को कराया जावे। यह ध्यान रखें कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार समय पर प्राप्त हो ताकि इसका वितरण लाभान्वितों में हो सके। आंगनबाड़ी केन्द्र किसी भी स्थिति में ड्राई नहीं रहे।

12. आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर भी बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तू) की प्राप्ति एवं वितरण का एक ही स्टॉक रजिस्टर संधारित करावें। पोषाहार इण्डेड पर पोषाहार प्राप्ति स्वरूप कार्यकर्ता/सहायिका के हस्ताक्षर लिये जावें तथा मासिक सूचना से केन्द्रों पर पोषाहार प्राप्ति का मिलान किया जावे।

13. परियोजना गोदामों/आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का भण्डारण सुरक्षित रूप से नहीं करने के कारण पोषाहार में ईलियां इत्यादि कीड़े होने की सम्भावना रहती है ऐसा पोषाहार लाभान्वितों के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि पोषाहार का भण्डारण सूखे–स्वच्छ एवं हवादार स्थान पर किया जावे।

14. उप निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पुस्तिका में पोषाहार शेष की मात्रा, उत्पादन माह व पोषाहार की वास्तविकता की स्थिति का उल्लेख करेंगे एवं पोषाहार के अवधिपार या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल उच्चाधिकारी के ध्यान में लाया जावेगा।

15. समस्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चों को नियमानुसार स्वयं सहायता समूहों/मातृ समितियों/महिला सहकारी समितियों के माध्यम से गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचड़ी) वितरण करना सुनिश्चित करावें। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार का वितरण नहीं किये जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

16. बाल एवं मातृ पूरक पोषाहार बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तू) का लाभान्वितों में वितरण निम्नानुसार कराया जावे :–

(i) आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों को 75 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिन (एक पाउच 450 ग्राम)।

(ii) आयुवर्ग 0 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को 150 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिन (दो पाउच 450 ग्राम)।

(iii) गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को 130 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिन (एक पाउच 780 ग्राम)।

17 यह प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुमोदित है।

8/2/08

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

एफ.3 (3)(1)पो/अयो/विविध/मबावि/2003 / 8331-50 जयपुर, दिनांक 11/2/08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. प्रभारी अधिकारी, निरीक्षण दल मुख्यालय।

8/2/08

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

E:\my document\A.SINGh Letter, 2007.doc